

वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (विशेष अंगीभूत उपयोजना) के अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य हेतु जिला एवं प्रमण्डलवार/ कार्यालयवार भौतिक लक्ष्य की स्थल सूची ।

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना नं०	प्लॉट संख्या	रकबा (हे०में)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हजारीबाग	हजारीबाग वनरोपण प्र०	रामगढ़ वनरोपण	माण्डु	बुण्डू	माण्डु-39	560, 562, 571, 576	30.00
					बोंगावार	माण्डु-153	6, 20, 749, 31, 1413, 1521, 1542, 1587	30.00
योग:-								60.00
2	गिरिडीह	गिरिडीह वनरोपण प्र०	जमुआ वनरोपण	जमुआ	बेगइ	जमुआ-442	2, 5, 5, 6, 8	70.00
योग:-								70.00
3	देवघर	सा०वा० प्र० देवघर	मधुपुर	मधुपुर	कुसमा	मधुपुर-240	605, 644, 2, 320, 59	50.00
			सा०वा० देवघर	देवीपुर	घवाना	देवघर-94	492, 2, 66, 20	20.00
योग:-								70.00
सकल योग:-								200.00

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रस्तावित स्थलों में विगत 10 वर्षों में किसी भी योजना के अन्तर्गत वनरोपण कार्य नहीं किया गया है ।
2. प्रस्तावित कार्य स्थल में वनरोपण के लिए स्थानीय ग्रामीणों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं इको विकास समिति की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।
3. प्रस्तावित कार्य स्थल किसी अन्य योजनाओं के लिए प्रस्तावित नहीं है ।
4. प्रस्तावित कार्य स्थल वन विकास अभिकरण योजना के लिए स्वीकृत या प्रस्तावित नहीं है ।
5. प्रस्तावित कार्य स्थल वन कार्य नियोजना के अनुरूप है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (विशेष अंगीभूत उपयोजना) के अन्तर्गत खैर वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य हेतु जिला एवं प्रमण्डलवार/ कार्यालयवार भौतिक लक्ष्य की स्थल सूची ।

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना नं०	प्लॉट संख्या	रकबा (हे०में)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हजारीबाग	हजारीबाग वनरोपण	बरही	बरही	बरियठ	बरही-138	690 से 697, 701 से 705	25.00
			हजारीबाग	ईचाक	नारंग पोखरिया	ईचाक-88	710, 3291, 115	40.00
			रामगढ़	चुरचू	कोदवे	माण्डू/गिद्दी ए-46	2, 61, 66, 73, 80	40.00
					हेसालौग	माण्डू/गिद्दी ए-41	1131, 1132, 1138, 1735, 1130	45.00
योग:-								150.00
2	कोडरमा	हजारीबाग वनरोपण	कोडरमा	मरकच्चु	मरकच्चु	मरकच्चु-141	10488, 10127, 10128, 10129, 10115	50.00
योग:-								50.00
3	चतरा	चतरा वनरोपण	चतरा	चतरा	रूद्रकला	चतरा-278		25.00
			सिमरिया	सिमरिया	संदली	सिमरिया-105		25.00
			हंटरगंज	हंटरगंज	बधमन्दवा	हंटरगंज-38	8, 10, 14, 15	25.00
			चौपारण	ईटखोरी	ढोड़ी	ईटखोरी-255	4112, 4113	25.00
			योग:-					
		कोडरमा सा०वा० प्र०	चौपारण	ईटखोरी	राजबर	ईटखोरी-110	891, 892, 895, 896, 897, 898	50.00
योग:-								50.00
4	कोडरमा	कोडरमा सा०वा० प्र०	कोडरमा	कोडरमा	पिपरही	कोडरमा-293	14पी०, 13, 10पी०, 9पी०	50.00
			डोमचांच	सतगावां	सलईडी	सतगांवा-144	1126, 1127, 1128	50.00
योग:-								100.00
5	बोकारो	सा०वा० प्र० हजारीबाग	सा०वा० पेटरवार	कसमार	मरूमारा	कसमार-154	64, 226, 249, 227, 256, 310	50.00
					खैराचातर	कसमार-144	692, 686, 638	
योग:-								50.00
6	गिरिडीह	गिरिडीह वनरोपण प्र०	डुमरी	डुमरी	मंगलुअहार	डुमरी-94	1, 50, 570, 573, 115	40.00
			जमुआ	जमुआ	करीचट्टान	जमुआ-446	2, 63, 25, 27	40.00
					अदुआडीह	जमुआ-348	366, 355, 11, 392	40.00
			बेंगावाद	बेंगावाद	पिंडाटांड	अहिल्यपुर	2, 8, 18, 19, 299, 263	40.00

			गिरिडीह	बेंगावाद	बारासोली/	बेंगाबाद-27/26	1, 4, 8, 10, 42	40.00
								योग:- 200.00
7	देवघर	सा0वा0 प्र0 देवघर	देवघर	देवीपुर	मटुकिया (पी.)	देवघर-166	122, 31, 30, 15, 41, 181, 2, 71, 341, 344, 556	30.00
					मुमरावाद	देवघर-167	357, 359, 360	30.00
					बाधमारी	देवघर-77	277, 819, 868, 919 से 922	
			मधुपुर	मधुपुर	लिडकिया	मधुपुर-233	114, 118, 106, 416, 122, 7, 1149	55.00
			मोहनपुर	मोहनपुर	नागपुर	देवघर-893	110, 119, 480, 694, 695, 150, 181, 356पी0	35.00
							योग:- 150.00	
8	पलामू	गढ़वा दक्षिणी वन प्र0	रंका पूवी	चैनपुर	करसो	चैनपुर-75	218	35.00
					छतवा	चैनपुर-71	2, 5	37.94
								योग:- 72.94
		गढ़वा सा0 वा0 प्रमण्डल	छत्तरपुर	छत्तरपुर	सलैया	छत्तरपुर-293	1, 2, 4, 10, 11, 19, 63, 51, 54	50.00
							योग:- 50.00	
9	गढ़वा	गढ़वा सा0 वा0 प्रमण्डल	भवनाथपुर	भवनाथपुर	परती/कुशवानी	भवनाथपुर-28	1162, 163	50.00
							योग:- 50.00	
							योग:- 1022.94	

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रस्तावित स्थलों में विगत 10 वर्षों में किसी भी योजना के अन्तर्गत वनरोपण कार्य नहीं किया गया है ।
2. प्रस्तावित कार्य स्थल में वनरापण के लिए स्थानीय ग्रामीणों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं इको विकास समिति की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।
3. प्रस्तावित कार्य स्थल किसी अन्य योजनाओं के लिए प्रस्तावित नहीं है ।
4. प्रस्तावित कार्य स्थल वन विकास अभिकरण योजना के लिए स्वीकृत या प्रस्तावित नहीं है ।
5. प्रस्तावित कार्य स्थल वन कार्य नियोजना के अनुरूप है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।